

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456] No. 456] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2018/माघ 16, 1939

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2018/MAGHA 16, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2018

का.आ. 529(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 129 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, यह निदेश देती है कि आस्थगित कर आस्ति या आस्थगित कर दायित्व के संबंध लेखांकन मानक 22 या भारतीय लेखांकन मानक 12 के उपबंध 01 अप्रैल, 2017 से सात वर्ष की अविध के लिए किसी ऐसी सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं होंगे जो:—

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 2 के खंड (72) के उपखंड (iv) के अधीन लोक वित्तीय संस्था है;
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रजिस्ट्रीकृत एक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है; और
- (ग) ऐसी अवसंरचना वित्त लीजिंग के कारबार में लगी हुई है जिसके कुल राजस्व का कम से कम पचहत्तर प्रतिशत सरकारी कंपनियों या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण वाली अन्य संस्थाओं के साथ ऐसे कारबार से प्राप्त हो रहा है।

[फा.सं. 17/32/2017-सीएल-V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

694 GI/2018 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2018

- **S.O. 529(E).** In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 129 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in the interest of public, hereby directs that the provisions of Accounting Standard 22 or Indian Accounting Standard 12 relating to deferred tax asset or deferred tax liability shall not apply, for seven years with effect from the 1st April, 2017, to a Government company which:—
 - (a) is a public financial institution under sub-clause (iv) of clause (72) of section 2 of the Companies Act, 2013;
 - (b) is a Non-Banking Financial Company registered with the Reserve Bank of India under section 45-IA of the Reserve bank of India Act, 1934; and
 - (c) is engaged in the business of infrastructure finance leasing with not less than seventy five per cent. of its total revenue being generated from such business with Government companies or other entities owned or controlled by Government.

[F. No. 17/32/2017-CL-V] K.V. R. MURTY, Jt. Secy.